

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला विकास शाखा)
आदेश

माननीय पूर्व विधायक श्री शकुनी चौधरी के विधायक मद की राशि अनुशासित एव इस कार्यालय के आदेश ज्ञापक 317 दिनांक 20.12.2010 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए 50% राशि कार्यान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराई गयी थी। शेष निम्न तालिका में उल्लिखित योजनाओं के अवशेष 40% (चालीस प्रतिशत) राशि विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यान्वयन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि योजना का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना सुनिश्चित करें। उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के पश्चात् जिला स्तर से नामित पदाधिकारी के द्वारा योजना का स्थल निरीक्षण के बाद शेष 10% राशि विमुक्त की जायेगी। साथ ही अन्तिम भुगतान के पूर्व कार्यान्वयन एजेंसी निश्चित रूप से योजना का निरीक्षण करेंगे और संतुष्ट होने के पश्चात् ही भुगतान करेंगे।

नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि निम्नतालिका के स्तम्भ 6(छ) में उल्लेखित राशि का चेक स्तम्भ-3 (तीन) में अंकित पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

क्र0	योजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में विमुक्त की राशि (50%)	विमुक्त की राशि। (40%)
1	2	3	4	5	6
01	असरगंज विजय यादव घर से योगेंद्र साह घर तक पथ में ईट सौलिंग एवं पी0सी0सी0 कार्य।	प्र0 वि0 पदा0, असरगंज	75000	37500	30000
02	छोटी कोरियन स्वस्थ उप केंद्र से चिंधो पंडित घर तक पथ में ईट खरंजी करण एवं पी0सी0सी0 कार्य।	तथैव	126600	63300	50640
		कुल	201600	100800	80640

द्रष्टव्य :-

1. कुल प्रशासनिक स्वीकृत की राशि :- 201600. (दो लाख एक हजार छः सौ रु0)
2. पूर्व में विमुक्त राशि :- 100800 (एक लाख आठ सौ रु0)
3. विमुक्त की राशि :- 80640 (अस्सी हजार छः सौ चालीस रु0)

30/-
उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।

ज्ञापक:- 398 जि0वि0, मुंगेर / दिनांक :- 24-10-2013
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमण्डल पदाधिकारी, तारापुर, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर एवं नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, असरगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/13
उप विकास आयुक्त
मुंगेर।